

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

पत्रांक/पटना, दिनांक-
06/पणन(स0)-92/2026

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
बिहार, पटना।

विषय :-

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वेजफेड के त्रि-स्तरीय सहकारी श्रृंखला के सुदृढीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से 5 सब्जी संघों एवं 30 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों को रिफर वैन के क्रय हेतु 50 प्रतिशत सहायता अनुदान अधिकतम रु0 8,50,980/- की दर से उपलब्ध कराने हेतु कुल राशि रु0 2,97,84,300/- (दो करोड़ सन्तान्धे लाख चौरासी हजार तीन सौ) मात्र के योजना की स्वीकृति एवं योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु0 1,27,64,700/- (एक करोड़ सत्ताईस लाख चौंसठ हजार सात सौ) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :-

स्वीकृत।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वेजफेड के त्रि-स्तरीय सहकारी श्रृंखला के सुदृढीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से 5 सब्जी संघों एवं 30 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों को रिफर वैन के क्रय हेतु 50 प्रतिशत सहायता अनुदान अधिकतम रु0 8,50,980/- की दर से उपलब्ध कराने हेतु कुल राशि रु0 2,97,84,300/- (दो करोड़ सन्तान्धे लाख चौरासी हजार तीन सौ) मात्र के योजना की स्वीकृति एवं योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में रु0 1,27,64,700/- (एक करोड़ सत्ताईस लाख चौंसठ हजार सात सौ) मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष राशि रु0 1,70,19,600/- (एक करोड़ सत्तर लाख उन्नीस हजार छः सौ) मात्र की निकासी आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 में की जायेगी।

2. सब्जी संघ/प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति स्तर पर रिफर वैन के क्रय हेतु 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गई है एवं शेष 50 प्रतिशत राशि सब्जी संघ/प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति अपने सदस्यों से हिस्सा पूंजी के रूप में संग्रहण कर सकेगी।
3. इस योजनान्तर्गत एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला को गति प्रदान करने तथा उत्पादक किसानों से संग्रहित की गई सब्जियों को सुरक्षित एवं समय पर विपणन केंद्रों व स्थानीय बाजारों तक पहुँचाने के उद्देश्य से सब्जी संघ एवं PVCS स्तर पर 1700-2000 किलोग्राम पेलोड क्षमता एवं न्यूनतम 75 HP इंजन वाले रीफर वैन का क्रय किया जायेगा।
4. इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 05 सब्जी संघ (मगध, भागलपुर, मुंगेर, सारण एवं शाहाबाद) स्तर पर कुल 05 रीफर वैन (प्रत्येक संघ हेतु 01) तथा 10 चयनित PVCS को रीफर वैन (प्रत्येक चयनित PVCS हेतु 01) के क्रय हेतु सहायता अनुदान दिया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 में शेष 20 चयनित PVCS को रिफर वैन के क्रय हेतु सहायता अनुदान दी जायेगी। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य PVCS के चयन की पात्रता एवं अन्य आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण वेजफेड द्वारा किया जाएगा। मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करते हुए योजना का क्रियान्वयन वेजफेड द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु स्वीकृत योजना प्रस्ताव के आलोक में योजना की राशि निम्नरूपेण विकलनीय होगा:-

क्र.सं.	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
i.	मांग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष-0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05 सहायक अनुदान समितियों के लिए	1,07,22,350/-

ii.	मांग संख्या-09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0103 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष-31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-09-2425007890103	20,42,350 / -
	कुल राशि	1,27,64,700 / -

6. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि०, पटना के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक-26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
8. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि०(2) दिनांक 16.05.2013 में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ ही उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।
10. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-29.07.2026 में मद सं०-20 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।
11. इस योजना के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या-4272 दिनांक-30.07.2026 में निर्धारित शर्त एवं दिशा-निर्देश लागू होंगे।
12. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-06/पणन(स०)-92/2026 के पृष्ठ संख्या-26/टि० पर दिनांक-18.08.2026 को प्राप्त है।
13. इसमें सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या-06/पणन(स०)-92/2026 के पृष्ठ संख्या-28/टि० पर दिनांक-18.08.2026 को प्राप्त है।

ह०/-

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक.....292...../पटना, दिनांक 19/08/26

06/पणन(स०)-92/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।
2. अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के निजी सहायक/महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि०, पटना/संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स०स०, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

88

सरकार के अपर सचिव।